न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 72/11 GCMS NO 2011/00031

1. प्यारे पुत्र भौरया (मृतक)
   1/1. विशम्भर पुत्र प्यारे
   1/2. दयाल पुत्र प्यारे
   1/3. सन्त पुत्र प्यारे
   1/4. वारो समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

अपीलांट.

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रंगलाल (मृतक)
2. लखन पुत्र चन्दू
3. भूदेव पुत्र चन्दू
4. मु0सरस्वती बेवा हीरालाल
5. केदार पुत्र हीरालाल
6. कैलाश पुत्र हीरालाल समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासीयान झारेडा हाल निवासी शिव कालोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली
7. मु0रामदेई पुत्री रूग्गी पत्नि नेमीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बरखेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
8. मु0 प्रेमदेवी पुत्री रूग्गी पत्नि मुशी
9. मु0हरदेई पुत्री रूग्गी पत्नि अमृतलाल जातियान ब्राहम्ण निवासीयान बरखेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
10. रामचरण पुत्र गिरधर
11. भम्मू पुत्र गिरधर जातियान ब्राहम्ण निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
12. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

(अपील विरूद्व मु0नं0 70/99 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.07 एवं 7.7.11 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुरेश चंद शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 17.4.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.07 एवं 7.7.11 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन ... पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 द्वारा दावा बाबत इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी एवं तकासमा इस आशय का पेश किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आराजी ख0न0 266 रकबा 16 ऐयर, 237 रकबा 14 ऐयर, 279 रकबा 10 ऐयर, 280 रकबा 7 ऐयर, 1840 रकबा 27 ऐयर, 1841 रकबा 35 ऐयर, 2600 रकबा 8 ऐयर, 2852 रकबा 27 ऐयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.44 है0 खसरा न0 270 रकबा 11 ऐयर, 271 रकबा 8 ऐयर, 272 रकबा 22 ऐयर, 2629 रकबा 4 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 45 ऐयर खसरा न0 284 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन चाह तथा ख0न0 255/3885 रकबा 12 ऐयर, कुल किता 2 कुल रकबा 13 ऐयर, ग्राम झारेडा मे स्थित है। आराजीयात वर्णित मद न0 1 वाद पत्र मे वादीगण वहिस्सा 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी न0 1 वहिस्सा 1/3 के रिकार्डेड खातेदार है। खातेदार रंगलाल का स्वर्गवास हो गया है इसलिए वादी न0 2 उसके रकबे पर काबिज है। आराजीयात मद न0 2 वाद पत्र मे वादी न0 1 हिस्सा 1/9 वादी न0 2/1 ता 2/2 के पिता व वादी न0 2/3 की पति चन्दू वहिस्सा 1/9 प्रतिवादी न0 1 वहिस्सा 1/9 प्रतिवादी न0 9 ता 11 वहिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी न0 6 ता 8 वहिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार है। आराजीयात वर्णित मद न0 3 वाद पत्र मे वादी न0 1 वहिस्सा 1/6, वादी न0 2/1 ता 2/2 के पिता व वादी न0 2/3 के पति चन्दू वहिस्सा 1/6 प्रतिवादी न0 1 वहिस्सा 1/6 , प्रतिवादी न0 12 व 13 वहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। आराजीयात विवादग्रस्त वादीगण व प्रतिवादीगण को अपने बुजुर्गान से विरासत मे मिली है। और अपने अपने हिस्से मे मुताबिक बाहमी तौर से बंटवारा कर काबिज है। मगर कौन से नम्बर पर कौन काबिज है इसकी जानकारी वादीगण के अशिक्षित होने के कारण नही है। मगर वादीगण खाता संख्या 480 की आराजीयात ख0न0 266,267,1840,1841, खाता संख्या 481 के ख0न0 270 व 271 पर काबिज है तथा खाता संख्या 482 से महज अपने बंट का पानी लेते है। इस प्रकार वादीगण के हिस्से से प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। प्रतिवादी न0 1 ता 5 वादीगण से रंजिश रखते है। और खाता संख्या 480 की कुछ जमीन को जबरन हडपना चाहते है। दिनांक 26.3.99 को वादी अपने खेत से गेहूँ की फसल काट रहा था कि प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 लाठी डंडा लेकर आ गये और आते ही धमकी दी गई कि आधी फसल को काटकर हम ले जावेगे। यह वाद कारण होने से वाद करना लाजमी हुआ। अतः वादी का वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजीयात वर्णित मद न0 1 मे वादी न0 1 वहिस्सा 1/3, वादी न0 2 वहिस्सा 1/3 प्रतिवादी न0 1 वहिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार है। आराजीयात वर्णित मद न0 2 वाद पत्र मे वादी न0 1 वहिस्सा 1/9 वादी न0 2/1 ता 2/3 वहिस्सा 1/9 प्रतिवादी न0 1 वहिस्सा 1/9 के खातेदार है। प्रतिवादी न0 9 ता 11 वहिस्सा 1/3 प्रतिवादी न0 6 ता 8 वहिस्सा 1/3 के खातेदार है। तथा आराजीयात वर्णित मद न0 3 वाद पत्र मे वादी न0 1 वहिस्सा 1/6 वादी न0 2/1 ता 2/3 वहिस्सा 1/6 प्रतिवादी न0 1 वहिस्सा 1/6 प्रतिवादी न0 12 व 13 वहिस्सा 1/2 के खातेदार है। आराज़ीयात वर्णित मद न0 1 ता 3 वाद पत्र का तकासमा मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर हिस्सेवार वर्णित मद न0 11 के प्रिलिमनरी फरमाया जावे वाद रिपोर्ट कमिश्नर फाईनल डिक्री बाबत बंटवारा फरमाई जाकर रेवन्यू रिकार्ड आफ राईटस मे अलग अलग खातेदारी कायम कर अलग अलग कायम कराया जावे तथा प्रतिवादी न0 1 ता 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की आराजीयात मे मदालखत नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:15:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र प्राथमिक डिकी किये जाने से व्यथित होकन अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अभिभाषक की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश मे सभी तनकीयात का भार प्रतिवादीगण पर डाला है जबकि दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया है, तनकी न0 3 का भार वादीगण पर था अदालत मातहत द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि मानते हुए भी उक्त तनकी को वादीगण के पक्ष मे माना है जो गलत एवं विधि विरूद्व है। इस कारण आदेश अदालत मातहत निरस्त योग्य है। तनकी न0 1 का भार प्रतिवादीगण पर है कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का बाहमी बंटवारा हो गया है तथा बाहमी बंटवारे मे उक्त पक्षकारान अपने हिस्से पर काबिज है तथा अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपने गवाहान व स्वयं के साक्ष्य के आधार पर भली प्रकार साबित किया है मगर अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी को अपीलांट के हक मे ना मानकर कानूनी भूल की है। तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि प्रतिवादीगण/अपीलांट ख0न0 270,266,267,271 पर काबिज है जिसे अपीलांट द्वारा अपने रिकार्ड व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। तथा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा उक्त अपने हिस्से मे आयी आराजीयात का बेचान कर दिया है उक्त दस्तावेज प्रतिवादीगण अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया है तथा उसकी मूल से छाया प्रति पर प्रदर्श भी डाला गया है मगर अदालत मातहत द्वारा उक्त दस्तावेज की सत्यता को नजर अंदाज कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 7 पर भी गौर किये बिना उसे प्रतिवादीगण/अपीलांट के विरूद्व माना है। जबकि प्रतिवादी/अपीलांटगण द्वारा खसरा न0 2629,2630 व 2631 को वादीगण/रेस्पो0 न0 1 लगायत 4 द्वारा बेचान कर दूसरी जगह बस जाने की बात लिखी है। तथा उक्त ख0न0 को दावे का भाग भी नही बनाया है इस बात पर गौर किये बिना आदेश अदालत मातहत निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दावे के जबाब के साथ बदल पत्र तथा विकय पत्र की छाया प्रति को असल मिलान करके प्रदर्श डलवाये है जिस पर वादी/रेस्पो0 के हस्ताक्षर है तथा उक्त दस्तावेज भली कार प्रूव है। मगर अदालत मातहत द्वारा उक्त दस्तावेज पर गौर नही फरमाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के चरण संख्या 2 व 3 मे अंकित भूमि का तकासिम व बंटवारे का उल्लेख पारित डिकी मे नही है तथा अपीलांट के वकील श्री गणपतिलाल की मृत्यु दिनांक [illegible].09[illegible] हो गई। अपीलांटगण को सूचना सुनवाई का अवसद दिये बिना ही अपना निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश निरस्त फरमाय जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट के बाहमी बंटवारे मे आयी आराजीयात का खातेदार घोषित किया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसका विधिवत बंटवारा नही होने के कारण कौन सा खसरा किसके हिस्से मे है इसका निर्धारण नही हो पाया है। प्रतिवादी/अपीलांट अपने हिस्से मे कम जमीन बाहमी बंटवारे मे आना बताते है इसी प्रकार वादी/रेस्पो0 अपने हिस्से मे भूमि कम आना बताते है। दोनो पक्षो मे विवाद का मुख्य कारण भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा नही होना है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि बिना विधिवत बंटवारा कराये ही वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर दिया है परन्तु उनको वादीगण/रेस्पो0 द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे तीन खातो का बंटवारा कराने की प्रार्थना की गई है जबकि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मे खाता संख्या 26 भी शामिल है। इस प्रकार संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का सम्पूर्ण का ही बंटवारा कराया जा सकता है किसी विशेष खाता भाग के बंटवारे के लिए वाद पत्र पेश करना विधि विरूद्व है। खाता संख्या 26 की आराजीयात को वादी/रेस्पो0 द्वारा अन्य दीगर व्यक्तियो को बेचान कर दिया है तथा उनको दावे मे पक्षकार भी नही बनाया गया है इसी प्रकार अपीलांट के अधिवक्ता का कथन रहा कि प्रकरण काफी पुराना है जिसमे कई पक्षकारो की मृत्यु दौराने अपील हो चुकी है यदि उनके वारिसान को पक्षकार बनाने की कार्यवाही की जाती है तो प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक बिलम्व होगा एवं भूमि अन्य किसी व्यक्तियो को बेचान हो जावेगी जिससे वाद वाहुलता बढेगी। अतः अपील को अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ताकि अधिनस्थ न्यायालय मे मृत व्यक्तियो के वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर मिल सके एवं प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित हो सके। अपीलांट के इस अभिमत से हम सहमत है। इस प्रकार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को मृतक व्यक्तियो के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने की कार्यवाही करते हुए तथा भूमि खाता संख्या 26 के सदभावी केतागण को वाद पत्र मे आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर विवादित आराजीयात की तहसीलदार हिण्डौन सिटी से कब्जे एवं मौके के अनुसार कुरेजात प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 70[illegible] मे पारित डिक्री दिनांक 15.10.07 एवं 7.7.2011 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक व्यक्तियो के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने की कार्यवाही करते हुए तथा भूमि खाता संख्या 26 के सदभाविक केतागण को वाद पत्र मे आवश्यक पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बनाया जाकर विवादित आराजीयात की तहसीलदार हिण्डौन सिटी से कब्जे एवं मौके अनुसार कुरेजात प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 9.6.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 17.4.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:01 IST
Reason: SelfAttested